संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./9-8-15-20आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पालिका परिषदों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013, कार्यालय ज्ञाप संख्या-338/नौ-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 06 फरवरी, 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-171/2015/410/9-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 23.03.2015 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 11 नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 1806.00 लाख (रूपये अटठारह करोड़ छः लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रूपये 560.50 लाख (रूपये पांच करोड साठ लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 दिनांक 24 जनवरी, 2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013, कार्यालय ज्ञाप संख्या-338/नौ-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 06 फरवरी, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-

http://shasanadesh.up.nic.in

171/2015/410/9-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 23.03.2015 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा ई-पेमेंन्ट के माध्यम से निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में आगामी 03 दिवस के अन्दर सीधे जमा की जायेगी।

(3) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(4) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(5) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(8) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(9) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

(12) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(13) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01-आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

<u>संख्या-219/2015/1647(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./नौ-आठ-2015-20आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	फतेहपुर	न.पा.प. बिन्दकी	मो0 बाजार में स्थित (नगर पालिका परिषद के पीछे) पक्का तालाब का जीर्णोद्वार कार्य।	153.00	153.00		
			योग-		**153.00**	**153.00**	**53.00**
2.	लखीमपुर खीरी	न.पा.प. मोहम्मदी	रामू बाल्मीकि से मेला मैदान पेन्टेड रोड इण्टरलाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	03.23	03.23		
			रामलीला मैदान पाथवे निकट सीड स्टोर व रंगमंच इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	22.24	22.24		
			योग-		**25.47**	**25.00**	**12.50**

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./नौ-आठ-2015-20आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
3	मीरजापुर	न.पा.प. चुनार	वार्ड संख्या-13 श्यामा देवी के मकान से स्व0 काशी के मकान तक इण्टरलाकिंग।	04.02	04.02		
			वार्ड संख्या-13 मु0 सेटेलमेंट एरिया में परेड ग्राउण्ड रोड से बेचन सोनकर के मकान तक सीसी इण्टरलाकिंग कार्य।	04.25	04.25		
			वार्ड संख्या-13 नगर पालिका तिराहे से संतोष मास्टर/प्रकाश के मकान से होते हुए संतथामस स्कूल तिराहे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	07.67	07.67		
			वार्ड संख्या-13 दशरथ एडवोकेट के पास विमल तिवारी के मकान से होते हुए चुंगी तक नाला व इण्टरलाकिंग कार्य।	06.15	06.15		
			वार्ड संख्या-13 में अशोक सिंह के मकान से संत थामस तिराहे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	04.02	04.02		
			योग-		**26.11**	**25.00**	**12.50**
4	बिजनौर	न.पा.प. नजीवाबाद,	वाहिद नगर में कुसमिया इण्टर कालेज रोड में स्ट्रीट लाईट कार्य।	39.49	39.49		
			मो0 मुनीरगंज स्लाटर हाउस रोड से कबाडी बाजार तक स्ट्रीट लाईट कार्य।	62.54	62.54		
			योग-		**102.03**	**100.00**	**35.00**

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./नौ-आठ-2015-20आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
5	बिजनौर	न.पा.प. हल्दौर	मो0 आल्हावाला वार्ड नम्बर-04 में मास्टर लंकेश के मकान से धर्मशाला तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	23.21	23.21		
			मौ0 रईसान में वार्ड नम्बर-21 में डा0 मंजीत सिंह की दुकान के सामने से श्री स्व0 सुरेश चौहान के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	16.14	16.14		
			मौ0 राजीव नगर वार्ड संख्या-03 में श्री सूरज टेलर की दुकान से श्री संतराम कोर्नर तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	14.92	14.92		
			मो0 राजीव नगर वार्ड नम्बर-3 में कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने से दक्षिणी कोने तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	08.30	08.30		
			मौ0 चौधरियान वार्ड नम्बर-25 में श्री विजय सिंह के मकान से श्री रामपाल सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	08.28	08.28		
			मौ0 भूड वार्ड नम्बर-11 में होली चौक से मुन्नू सैनी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	10.27	10.27		
			मो0 धूलियावाला वार्ड नमबर-06 में श्री विजेन्द्र रस्तौगी के मकान से श्री राम कुमार सेक्रेटरी के मकान व श्री रामकिशन के मकान तक नाला आर.सी.सी. वर्क तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	11.95	11.95		
			मौ0 चमनवाला वार्ड नम्बर-8 में होली चौक से श्री बाबूराम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	10.44	10.44		
			मौ0 खेड़ा उत्तरी वार्ड नम्बर- 24 में सरदारों वाले टयूबवैल से श्री अजीत सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड/नाली निर्माण कार्य।	04.54	04.54		
			योग-		**108.05**	**108.00**	**38.00**

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./नौ-आठ-2015-20आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
6	बिजनौर	न.पा.प. नहटौर	वार्ड संख्या-3 मौहल्ला सराय जोखा सिंह में शानू के मकान से आदिल के मकान से अजीम के मकान तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	31.60	31.60		
			वार्ड संख्या-3 मौहल्ला सराय जोखा सिंह में मोन्टिस के मकान से यूनुस के मकान तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	27.73	27.73		
			वार्ड संख्या-3 मौहल्ला सराय जौखा सिंह में मैन रोड से आफताब के मकान तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	11.78	11.78		
			वार्ड संख्या-3 मौहल्ला सराय जौखा सिंह में कलवा के मकान से आदिल के मकान तक 80 एम0एम0 इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क निर्माण कार्य।	31.47	31.47		
			नगर पालिका परिषद के विभिन्न वार्डो में विद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	70.00	70.00		
			योग-		**172.58**	**172.00**	**62.00**
7	शाहजहांपुर	न.पा.प. पुवायां	दलित/मलिन बस्ती में सोलर फोटोवैल्टिक पावर प्लांट (10, 15 व 30 किलो वाट) का निर्माण कार्य।	231.66	231.66		
			योग-		**231.66**	**200.00**	**70.00**

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./नौ-आठ-2015-20आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
8	गाजियाबाद	न.पा.प. मुरादनगर	वार्ड नमब्र-5 प्रीत विहार नाले की पटरी पर धर्मपाल से ट्रांसफार्मर तक इण्टर लाकिंग टाइल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	28.15	28.15		
			योग-		**28.15**	**25.00**	**12.50**
9	गोण्डा	न.पा.प. नवाबगंज	मोहल्ला मुठठीगंज, संचरही, चांईटोला, पोख्तादरवाजा, पड़ाव, कहरान, बाजपुरवा, गोलाबाजार, नयाबाजार, कंजड़ान, बढ़ईपुरवा व शुगरमिल पूर्वी पश्चिमी में इण्टरलाकिंग पुर्न निर्माण/नव निर्माण कार्य।	332.68	332.68		
			योग-		**332.68**	**320.00**	**100.00**
10	हरदोई	न.पा.प. पिहानी	नगर पालिका के अन्तर्गत बंजारी सराय मोहल्ला से पियाबाग तक मिटटी भराई, पुलिया एवं डामर सड़क का निर्माण कार्य।	44.29	44.29		
			योग-		**44.29**	**40.00**	**20.00**

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-219/2015/1647आ.न.यो./नौ-आठ-2015-20आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
11	आजमगढ	न.पा.प. मुबारकपुर	मु0 नूरपुर बुतात में संतराज के खेत से पुलिया के आगे तक नाला तथा आर0सी0सी0कवरिंग कार्य।	24.87	24.87		
			मु0 नूरपुर बुतात में हरेन्द्र के खेत से अशोक चौरसिया के खेत तक नाला तथा आर0सी0सी0 कवरिंग कार्य।	24.75	24.75		
			मु0 नूरपुर बुतात में गुलाम हुसैन के खेत से फकरूसन के खेत तक नाला तथा आर0सी0सी0 कवरिंग कार्य।	24.65	24.65		
			मु0 पुरा खीजिर वार्ड नम्बर-14 में अशरफिया के दक्षिणी दीवार से अशरफिया हास्पिटल तक नाली, आर0सी0सी0 कवरिंग कार्य।	24.99	24.99		
			मु0 पुरा खीजिर वार्ड नम्बर-14 में अशरफिया के नम्बर-2 गेट से सीमेन्ट सड़क तक नाली, आर0सी0सी0 कवरिंग कार्य।	24.86	24.86		
			मो0 नूरपुर बुतात में सतीश के हाता से बेचू सोनकर के मकान व रमेश लाल के मकान तक नाली, आर0सी0सी0 पटिया, मिटटी भराई, रिटेनिंग वाल तथा इण्टरलाकिंग कार्य।	28.26	28.26		
			मो0 नूरपुर बुतात में दुर्बल के हाता होकर सुन्दरी के मकान के आगे व उसमान की जमीन तक नाली, आर0सी0सी0 पटिया, मिटटी भराई, रिटेनिंग वाल तथा इण्टरलाकिंग कार्य।	29.78	29.78		
			मो0 नूरपुर बुतात में बारी सोनकर के मकान से सई हाजी के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	51.50	51.50		
			मो0 नूरपुर बुतात में बारी हाजी के मकान से मल्लू के गोदाम तक इण्टरलाकिंग कार्य।	54.47	54.47		

http://shasanadesh.up.nic.in

			मो0 नुरपुर बुतात में मल्लू के हाता से नाला/पुलिया तक इण्टरलाकिंग कार्य।	28.86	28.86		
			मो0 पुरा खीजिर में युनिवर्सिटी के दक्षिणी दीवार से युनिवर्सिटी के मुख्य गेट तक इण्टरलाकिंग कार्य।	56.74	56.74		
			पुरा रानी पश्चिमी में हाजी अशहद के घर से रेयाज के मकान तक नाली, आर0सी0सी0 पटिया मिटटी भराई, रिटेनिंग वाल तथा इण्टरलाकिंग कार्य।	21.50	21.50		
			योग-		**395.23**	**395.00**	**145.00**
			कुल योग-			**1563.00**	**560.50**

(रूपये पांच करोड़ साठ लाख पचास हजार मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in